न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 232/2016

सोहनसिंह पुत्र जीतसिंह जाति मजहबी निवासी चक 11 एस.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
2. बिकरसिंह पुत्र हरजीत सिंह जाति मजहबी निवासी चक 11 एस.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू रा.अधि.1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, दिनांक 22.11.2016

उपस्थितिः—

श्री सुरेन्द्र सुथार , अभिभाषक अपीलांट
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता
श्री जसवीर सिंह बराड, अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय दिनांक :— 13.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष चक 11 एस.डी. के प.नं. 109/391 के कि.नं. 3 से 8, 13 से 15, 18, 23 से 25 की 2.657है0 भूमि को मिडियम पेच में आवंटन करवाने हेतु प्रा.पत्र पेश किया जिसमें दिनांक 20.10.2016 को स्थगन प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रा. पत्र के निर्णय तक अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे। उक्त प्रा.पत्र पर अधी. न्यायालय ने दिनांक 22.11.2016 को यह आदेश दिया कि विवादित भूमि रकबा राज है जिसमें स्थगन आदेश दिया जाना उचित नहीं होने से प्रा.पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के

13/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आवंटन का प्रार्थना पत्र अधी. न्यायालय में पेश किया हुआ है। मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। रेस्पों. सं. 2 अपीलांट के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करता था जिसपर अपीलांट ने स्थगन प्रा.पत्र पेश किया जो अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया। अतः अपीलांट के कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलांट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रकबा राज है जिसके सम्बन्ध में स्थगन आदेश नहीं दिया जा सकता था। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 22.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें विवादित आराजी रकबा राज पर कब्जा होने से अन्य किसी को आवंटन न करने के लिये अधी. न्यायालय द्वारा स्थगन प्रा.पत्र खारिज किया है। वह अपीलांट के विवादित भूमि पर कब्जा नहीं होने की वजह से अधी. न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, स्थगन प्रा.पत्र में अपीलांट की स्पष्ट स्वीकारोक्ति कि उसकी हैसियत विवादित आराजी राज पर अतिक्रमी की है जो न केवल आराजी राज से बेदखली का पात्र है। अपितु अगर वह Subsequent tresspasser हो तो जेल भेजे जाने का दोषी भी है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ को पृष्ठांकित कर निर्देश दिये जाते हैं कि विवादित आराजी आज रकबा राज है एवं अपीलांट इस भूमि पर प्रमाणिक रूप से अतिक्रमी व पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तो सन्दर्भ नियमों में कार्यवाही कर रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर